(सत्यप्रतिलिपि)

न्या. अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) धमतरी, छ0ग0

(आदेश दिनांक 05/11/2020)

जमानत याचिका कमांक 254/20

थाना कुरूद, अप.क.536/20

धारा 294, 323, 376 भादसं

मुकेश साहू पिता स्व. भुरेलाल साहू,

उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी शांति नगर वार्ड

कमांक 09 कुरूद थाना व तहसील कुरूद,

जिला धमतरी, छ0ग0.....**आवेदक/अभियुक्त**

—विरूद्ध—

छ0ग0 राज्य द्वारा,

आरक्षी केन्द्र कुरूद,

जिला धमतरी, छ0ग0.....**अनावेदक/अभियोजन**

————————————————————————————

05-11-2020

मान्नीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश कमांक 79 विविध दो—14—01/2020 बिलासपुर दिनांक 15 जुलाई 2020 एवं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी, छ0ग0 के विविध आदेश कमांक क/दो—12—08/2020, धमतरी, दिनांक 16.07.2020 के पालन में यह अग्रिम जमानत याचिका संबंधित थाना की केसडायरी सहित सुनवाई हेतु मेरे समक्ष पेश।

आवेदक द्वारा श्रीमती पार्वती वाधवानी अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य शासन की ओर से श्री गजानंद मीनपाल, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पीड़िता अपनी दीदी रूप कुमारी साहू सहित स्वतः उपस्थित होकर आवेदक/ अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने में कोई आपत्ति न होना व्यक्त करते हुये स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। शपथ पत्र के साथ स्वयं का आधार कार्ड की छाया प्रति एवं पुलिस अधीक्षक को लिखे गये पत्र एवं शपथ पत्र की छाया प्रति तथा थाना प्रभारी को दिये गये पत्र एवं शपथ पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत किया।

आवेदक द्वारा पेश जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता पर उभयपक्ष का तर्क सुना गया। डायरी का अवलोकन किया गया।

आवेदक ने प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन होना, इसके अतिरिक्त मान्नीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में कोई अग्रिम जमानत आवेदन लंबित या निराकृत नहीं होना बताया है। समर्थन में आवेदक ने स्वयं का शपथ पत्र पेश कर घोषणा किया है।

आवेदक की ओर से उक्त आवेदन में बताया गया है कि पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर उसके विरूद्ध थाना कुरूद में अप.क्र.536/20, धारा 294, 323, 376 भादसं पंजीबद्ध किया गया है। उक्त अपराध पंजीबद्ध होने की जानकारी होने पर उसके द्वारा यह अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वह निर्दोष है। उसके द्वारा पीड़िता को पढ़ाये लिखाये जाने एवं उसके खर्च उठाये जाने, गत वर्ष पीड़िता के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर जाने, पीड़िता द्वारा मना किये जाने का अवलंब लेते हुये उसने किसी प्रकार का कोई भी अपराध नहीं किया जाना

बताया है। उसका पूर्व कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। वह पेशे से अधिवक्ता है तथा कुरूद तथा धमतरी में व्यवसायरत है। यदि उसे मामले में गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया जाता है उसके प्रतिष्ठा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वह कुरूद का स्थायी निवासी है, उसके फरार होने की संभावना नहीं है। वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन करने को तैयार है। तदानुसार अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदक की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन के समर्थन में न्याय दृष्टांत सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य बनाम एवं अन्य 2011–1 सीसीएससी 524, एस.सी., महेन्द्र कुमार साहू विरूद्ध छ0ग0 राज्य 2011–4 सीजीएलजे 582, मान्नीय छ0ग0 उच्च न्यायालय के एमसीआरसीए नंबर 455/2018 खेलन सोनकर विरूद्ध छ0ग0 राज्य आदेश दिनांक 05.07.2018 तथा मान्नीय छ0ग0 उच्च न्यायालय के एमसीआरसीए नंबर 915/2020 आदेश दिनांक 18.09.2020 प्रस्तुत कर आस्था व्यक्त किया है।

अनावेदक शासन की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुये जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है ।

डायरी के अनुसार प्रार्थियां/ पीड़िता उम्र लगभग 26 वर्ष निवासी शांतिनगर कुरूद ने दिनांक 30.10.2020 को थाना कुरूद में लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी है कि आरोपी मुकेश साहू ने 10 वर्ष पूर्व वर्ष 2010 से प्रार्थियां को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर प्रार्थियां/ पीड़िता की इच्छा के विरूद्ध जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाया है तथा दिनांक 28.10.2020 को

भी आरोपी ने प्रार्थियां को अपने घर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाया तथा दिनांक 29.10.2020 को प्रार्थियां आरोपी के घर जाकर शादी करने की बात बोलकर उसके घर में रूकी थी कि आरोपी ने दिनांक 29.10.2020 को प्रार्थियां को अपने घर में अकेले छोड़कर मगरलोड चला गया था तथा दिनांक 30.10.2020 को आरोपी मुकेश ने घटना समय करीबन 02.00बजे दिन में आकर प्रार्थियां को तुम घर से बाहर निकलो कहते हुये अश्लील गाली गुप्तार देते हुये हाथ मुक्का से मारपीट किया तथा अपने घर के बाहर गली में घसिटते हुये निकालकर पटक दिया, जिससे प्रार्थियां को चोंटे आयी। प्रार्थियां की लिखित शिकायत के आधार पर थाना कुरूद में अपराध कमांक 536/20, धारा 294, 323, 376 भादसं पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना कार्यवाही की जा रही है।

जमानत आवेदन पर विचार किया गया। यद्यपि प्रकरण की पीड़िता ने स्वयं उपस्थित होकर आवेदक/ अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया है तथा शपथ पत्र में विगत 10 वर्षों से मित्रवत संबंध होना स्वीकार की है। पुलिस अधीक्षक को लिखे गये पत्र एवं शपथ पत्र में आरोपी के द्वारा कक्षा 12वीं से बी.एड. तक पढ़ाई लिखाई कराया जाना तथा सारे कपड़े वगैरह का खर्च वहन किया जाना भी बताया है जिसका समर्थन आवेदक/ अभियुक्त के आवेदन से ही स्पष्ट है। आवेदक के आवेदन से यह भी स्पष्ट है कि गत वर्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर गया था परंतु पीड़िता के द्वारा उम्र अधिक होने तक आवेदक को अनेक बीमारी होने की बात कहकर

मना कर दिया जाना तथा पश्चातवर्ती में आवेदिका का अभियुक्त को उसके साथ पृथक रहने, अभियुक्त के परिवार के सदस्य पर किसी प्रकार का खर्च न करने तथा पीड़िता का किसी अन्य व्यक्ति से विवाह हो जाने तक पूरा खर्च उठाये जाने को कहना एकाएक 29.10.2020 अपने सामान सहित अभियुक्त के घर आ जाना और हो हल्ला करना फिर अभियुक्त के घर में ताला बंद रहने के दौरान घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करना बताया गया है। अभियुक्त के आवेदन एवं पीड़िता के शपथ पत्र से स्पष्ट है कि पूर्व में सहमत पक्षकार रहे हैं तथा वर्तमान में पीड़िता आरोपी के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहती है। आवेदक को अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत होना प्रकट है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य एवं डायरी के साथ संकलित साक्ष्य, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पीड़िता के शपथ पत्र एवं वर्तमान कोविड 19 की परिस्थिति को देखते हुये आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने हेतु यह उचित मामला प्रतीत होता है, फलतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक की ओर से 25,000–25,000रूपये की दो सक्षम जमानत एवं 50,000रूपये का मुचलका गिरफतार करने वाले पुलिस अधिकारी की संतुष्टि योग्य निम्न शर्तो के साथ पेश किया जाता है तो उसे थाना कुरूद के अप.क्र.536/20, धारा 294, 323, 376 भादसं में रिहा किया जावे। **शर्ते–01.** प्रकरण के अन्वेषण के दौरान

विवेचनाधिकारी के निर्देश पर निर्दिष्ट स्थल पर उपस्थित रहेगा **02.**साक्षियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व प्रलोभित नहीं करेगा तथा किसी ढंग से अन्वेषण एवं विचारण को प्रभावित नहीं करेगा। **03.** विचारण के दौरान प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेगा एवं सदाचार बनाये रखेगा।

आदेश की प्रतिलिपि संबंधितों को भेजी जावे।

जमानत प्रकरण का रिजल्ट नोट कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा हो।

सही/–

(छमेश्वर लाल पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
वास्ते सत्र न्यायाधीश
धमतरी, छ0ग0

प्रतिलिपि/–**01.** संबंधित थाना को संबंधित केसडायरी सहित प्रेषित। **02** अपर लोक अभियोजक को प्रेषित।

सही/–

(छमेश्वर लाल पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
वास्ते सत्र न्यायाधीश
धमतरी, छ0ग0